न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 2164/2016

–:: प्रार्थीगण ::–

1. साबुराम पुत्र सुरजमल
2. बुधाराम पुत्र पुसाराम

जातियान– गुर्जर निवासीगण– चिलकणी रास तहसील– जैतारण जिला–पाली राज.।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. सुखदेव पुत्र हांसाराम
2. भंवरलाल पुत्र हांसाराम
3. शिवदान पुत्र हांसाराम
4. मेवाराम पुत्र हांसाराम
5. कानाराम पुत्र भंवरूराम
6. नेमाराम पुत्र भवंरूराम

जातियान–गुर्जर, निवासीगण–चिलकणी रास तहसील–जैतारण जिला–पाली।

7. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू: 17/06/2016**

उपस्थितः. 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।

2. श्री सुरेश चौधरी,करनीदान चारण अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 04/12/2019**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा ग्राम–भीलदेवा, पटवार हल्का–रास प्रथम तहसील–जैतारण में सायलान की खरीदसुदा, कब्जासुदा व स्वयं की पुश्तैनी जमीन खसरा नंबर 973 रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमि आई हुई है। जिस पर सायलान काबिज है। उक्त सम्पूर्ण आराजी पर वर्तमान में अपने हिस्सेनुसार सायलान काबिज है व काश्त कर रहे है। गैरसायलान जो कि सायलान के गांव के व्यक्ति है तथा ताकतवर लोग है जिनका उक्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है व नही कोई पड़ौसी है। जबरन सायलान की कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर कब्जा करने हेतु आमादा है तथा सायलान के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने की धमकिया दे रहे है जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। सायलान की उक्त भूमि में काश्त करने में गैरसायलान जा कि जनबल व धनबल में प्रभावी होने के कारण दखलन्दाजी कर रहे है तथा ऐलानिया धमकी देते है कि हम राजनैतिक प्रभाव से व धनबल से तुम्हे बेदखल कर देंगे। जिसकी रिपोर्ट भी सायलान ने थाने में दी जिसकी भी कोई सुनवाइ नहीं हुई व उल्टा सायलान को शांति भंग के आरोप में झूठा गिरफ्तार किया जिससे गैरसायलान के हौंसले बुलन्द हो गये व दिनांक 16.06.2016 को सभी गैरसायलान एक राय होकर ट्रेक्टर लेकर आये व सायलान को ऐलानिया धमकी दी कि खेत का कब्जा खाली करो नहीं तो जान से मार देंगे व रात बिरात मौका पाकर खेत में हल चला देंगे व सायलान को जबरन बेदखल कर उनकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। सायलान ने उन्हें समझाया कि उक्त भूमि के सायलान रेकर्डेड खातेदार है व उनकी स्वयं की जमीन है व बिना किसी रोकटोक के काश्त कर रहे है लेकिन गैरसायलान नहीं माने व लगतार सायलान के कब्जे में दखलन्दाजी कर रहे है जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है यदि ताकत के बल पर सायलान की जमीन में दखलन्दाजी करते है अथवा बारिश के मौसम में सायलान के कब्जेकाश्त से बाधा रुकावट पैदा करते है तो सायलान को असीम क्षति

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned by CamScanner

होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी सदर संभव नहीं होगी। सायलान गरीब किसान है ताकत के बल पर गैरसायलान का मुकाबला नहीं कर सकते है उन्हें उक्त गैरकानूनी कृत्य करने से रोकने के लिए सायलान के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से रोकने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष पेश है। सायलान उक्त कृषि भूमि के रेकर्डेड काबिज खातेदार है सायलान गैरसायलान को अपनी खातेदारी भूमि पर कब्जा नहीं करने देंगे तब मौके पर खून खच्चर होगा। गैरसायलान ताकतवर लोग है सायलान की हत्या भी कर सकते है। यदि गैरसायलान जबरन कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो सायलान को असीम क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं हो सकेगी। सायलान अपने अपने कब्जे काश्त की भूमि की रक्षा करने के लिए भारसाधक अधिकारी व थाना रास को कई बार प्रार्थना पत्र पेश किये गेरसायलान राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्ति है जिससे लगातार उनके हौंसले बुलंद हो रहे हैं प्रथमदृष्टिया मामला सायलान के पक्ष में है क्योंकि वो रेकर्डेड खातेदार है इसलिये सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में है यदि गैरसायलान सायलान की कब्जे काश्त खातेदारी भूमि में दखलन्दाजी करते हे तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी कदर संभव नहीं हो सकेगी।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, सामिल मिसल है।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे व बेबूनियाद होने से अस्वीकार है। खसरा नंबर 973 रकबा 23-11 बीघा की भूमि में सायलान एवं उनके पारिवारिक सदस्यों का 1/3 वां हक हिस्सा व अधिकार ही है। तथा सायलान ने इस सम्पूर्ण भूमि को अपनी खरीदसुदा होना झूठा अंकित किया है। बल्कि सायलान ने एक कूटरचित बेचान विलेख इस वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में निष्पादित करवाया है जो इस खसरा नम्बर 973 रकबा 23-11 बीघा में से केवल 1/4 वें हिस्से की भूमि का करवाया है। उस कूटरचित बेचान विलेख को भी मन्सूख घोषित करवाने हेतु जवाब देहन्दागण की ओर से कार्यवाही सक्षम न्यायालय में की जा रही है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है॥ प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे व बेबूनियाद है। सायलान व गैरसायलान सभी एक ही पूर्वज बालाराम जी के पोत्र, प्रपोत्र है जबकि सायलान ने अपने इस प्रार्थना पत्र में गैरसायलान को अजनबी होना बताया है। साथ ही जवाब देहन्दागण का इस भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं होने के तथ्य भी अंकित किये है। उक्त तथ्य भी गलत है। वास्तविकता में उक्त भूमि वक्त सेटलमेंट के समय रास ठाकुर साहब श्री बहादूरसिंह जी की थी कालान्तर में खसरा नंबर 973 सहित अन्य खसरा नम्बरान की भूमि बालाराम वल्द सवाईराम जी ने अपने तीन पुत्र क्रमशः हमीरा, हंसा व गोविन्दराम जी के नाम खरीद की थी एवं इस खसरा नंबर 973 सहित अन्य खरीदसुदा खसरा नम्बरान की भूमियों पर तीनों ही भाईयों ने शामलाती काश्त भी शुरू किया था लेकिन राजस्व रेकर्ड में नामान्तकरण की कार्यवाही हुये बिना ही हमीर जी ने बाले बाले कूटरचित तरीके से उक्त भूमि अपने व अपने सगे ससुर भाग्यु पुत्र जोरा के नाम दर्ज करवा दी थी। जिसकी पूर्व में जानकारी जवाब देहन्दागण को नही थी, अब जानकारी होने के बाद उसके बाबत सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार से खसरा नंबर 973 सहित अन्य खसरा नंबर 963, 971, 972 की भूमियों में भी जवाब देहन्दागण के पिता जी हंसा जी व उनके वारिसान का 1/3 वां हक हिस्सा व अधिकार बराबर हे। इसके सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी आगे विशेष विवरण में दी जावेगी। इस प्रकार से सायलान का यह कहना कि जवाब देहन्दागण का इस खसरा नंबर 973 की भूमि में कोई कब्जा व हक अधिकार नहीं है। पूर्णतया मिथ्या कथन किया है बल्कि इस खसरा नम्बरान की भूमि पर जवाब देहन्दागण की पत्थरों की चुनाई कर पूर्वी दिशा में कच्ची दिवार बनाई हुई है। एवं उत्तरी-पश्चिमी दिशा में जेसीबी मशीन चलाकर मिट्टी की खन्दक लगाई हुई है एवं दक्षिण दिशा में स्थाई माठ कायम की हुई है एवं इस 1/3 वें हिस्से की भूमि पर संवत 2018 से लगायत आज दिन तक जवाब देहन्दागण व उनके पूर्वजों का कब्जा व हक अधिकार चला आ रहा हे। केवल राजस्व रेकर्ड में हो रखी गलत प्रविष्टियों की वजह से

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

सायलान ने कुटरचित बेचान विलेख 1/4 वें हिस्से की भूमि का अपने पक्ष में निष्पादित करवाया है। जिसे भी सक्षम न्यायालय में चैलेंज किया जा रहा है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थी के कथन पूर्णतया असत्य झूठे व बेबूनियाद है एवं समस्त परिस्थितियों व दस्तावेजात के आधार पर प्रथमदृष्टिया मामला व सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में नहीं होकर जवाब देहन्दागण के पक्ष में है। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि के 1/3 वें हिस्से पर संवत 2019 से ही जवाब देहन्दागण व उनके पिता हसां जी का कब्जा काश्त व हक अधिकार है। तब केवल अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये जवाब देहन्दागण का कब्जा नहीं हटाया जा रहा है। इसलिए भी यदि इस प्रकरण में किसी प्रकार से कोई स्थगन जारी किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति सायलान की बजाय जवाब देहन्दागण को होगी। इसलिए भी सालयान का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावे।

वकील गैरसायलान ने काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया, जो सा.मि. है। काउन्टर प्रार्थना पत्र में व्यक्त किया कि राजस्व मौजा ग्राम भीलदेवा पटवार हल्का रास प्रथम तहसील जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 973 रकबा 23-11 बीघा, खसरा नम्बर 963 रकबा 6-15 बीघा, खसरा नंबर 972 रकबा 13-17 बीघा, खसरा नंबर 971 रकबा 00-07 बीघा गैर मुमकिन बेरा कुल खसरा 04 कुल रकबा 44-10 बीघा के वक्त सेंटलमेंट के समय काबिज खातेदार काश्तकार ठिकाना रास के जागीरदार श्री बहादूरसिंह वल्द नाथूसिंह जी थे, तथा उक्त भूमि मिसल बंदोबस्त व राजस्व रेकर्ड में श्री बहादूरसिंह जी के नाम ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई थी। इन खसरा नम्बरान की भूमि को काउन्टर प्रार्थना पत्र में आगे विवादित आराजी नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। जैसा कि उपर वर्णित किया जा चुका है कि विवादित आराजी के वक्त सेटलमेंट के समय खातेदार श्री बहादूरसिंह जी थे मिसल बंदोबस्त व चौशाला जमाबंदी संवत 2018 से 2021 में भी भूमि बहादूरसिंह जी के नाम ही दर्ज है। भूमि के खातेदार श्री बहादुरसिंह जी से सायलान के दादा बालूराम वल्द सवाईराम जी ने उक्त वादग्रस्त भूमि को खरीद किया था जो बालाराम वल्द सवाईराम जी ने अपने दोनों बड़े पुत्र हमीरा व हंसा जी एवं छोटे पुत्र गोविन्दराम जी के हिस्से में रखी थी। इसी प्रकार उंकार जी व गिरधी जी को उनके हक हिस्से की भूमि जवानगढ में सौंपी थी। वंशावली के माफिक सायलान व गैरसायलान सभी बालाराम वल्द सवाईराम जी के वंशज है एवं वादग्रस्त भूमि ठाकुर श्री बहादूरसिंह जी से बालाराम जी ने ही खरीद की थी। तदुपरान्त इन भूमि में हमीरा, हंसा व गोविन्दराम का 1/3, 1/3 वां हक हिस्सा व अधिकार रखा था। तथा बालाराम जी ने अपने दो पुत्र उंकार जी व गिरधारी जी को ग्राम जवानगढ तहसील जैतारण की जमीन में से उनके हिस्से की भूमि सौंप दी थी इस प्रकार से बालाराम जी के जीवनकाल से ही इस वादग्रस्त भूमि में 1/3 वें हक हिस्से की भूमि जवाब देहन्दागण काबिज खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि बालाराम वल्द सवाईराम जी ने खरीद की थी उन दिनों बालाराम जी के सबसे बड़े पुत्र हमीर जी अपने परिवार में कर्ताधर्ता व मुखिया थे जिन्होने तत्कालीन हल्का पटवारी से मिलकर कुटरचित तरीके से वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपने स्वयं के अकेले के नाम 1/2 व 1/4 वां हिस्सा दर्ज करवाया तथा अपने सगे ससुर भागू वल्द जोरा को सिकमी काश्तकार के रूप में 1/4 वां हिस्सा दर्ज करवा दिया था। यद्यपि वादग्रस्त भूमियों के बाबत काउन्टर प्रार्थनाकर्ता जानकारी के समय से हमीरा के सभी वारिसान व उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध अपना घोषणा व अन्य अनुतोष बाबत पृथक से प्रार्थना पत्र पेश करना चाहते है जिसके बाबत अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए केवल सायलान साबूराम वगैरा के विरूद्ध उनके द्वारा वर्तमान में ही काउन्टर प्रार्थना कर्ता के विरूद्ध हस्तक्षेप व दखलंदाजी करने से ही उनके विरूद्ध यह काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। समस्त तथ्यों परिस्थितियों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रथमदृष्टिया मामला जवाब देहन्दागण के पक्ष में बखूबी साबित है। यदि वादीगण/ अप्रार्थीगण जवाब देहन्दागण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी व हस्तक्षेप करते है। तो अपूर्णीय क्षति वादीगण की बजाय जवाब देहन्दागण को होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी इसलिए सुविधा का संतुलन बखूबी जवाब देहन्दागण के पक्ष में साबित है। तब यह काउन्टर प्रार्थना पत्र सादर पेश किया जा रहा है।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र में उल्लेखित कथनों को दुहराते हुए जाहिर किया कि प्रतिवादी/अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी के कभी खातेदार-काश्तकार नहीं रहे हैं तथा न ही वे वर्तमान में उक्त आराजी के खातेदार-काश्तकार है, न उक्त वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण का कोई हक निहित है और न ही कब्जा है। अप्रार्थी का बंदोबस्त से लेकर आज दिनांक तक कभी खातेदारी, कब्जा और हक न ही रहा है तथा न ही उन्होंने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है अप्रार्थीगण अनाधिकृत रूप से प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में प्रवेश करनें, कब्जा करनें और प्रार्थीगण को तंग और परेशान करने की चेष्टा करते हैं जिस बाबत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीगण की ओर से पुलिस कार्यवाही भी की गई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौरान-ए-बहस अपने जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रति-प्रार्थना-पत्र को दुहराते हुए जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी पैतृक नहीं है, बंदोबस्त में रास ठाकुर का नाम दर्ज है। खातेदार भागू, खातेदार हमीरा का ससुर था, जिसका नाम गलत दर्ज हुआ है मांगू का कभी कब्जा नहीं रहा है तथा वह मध्य प्रदेश में रहता है, नामांतरण केवल राजस्व प्रकिया है इससे आराजी में निहित किसी के हक समाप्त या उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, अंतरिम आदेश विधिसंगत नहीं है, वादीगण/प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे और अप्रार्थीगण का प्रति-प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम-भीलदेवा, के खसरा संख्या 973 रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा जिसका प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार हैं, उक्त आराजी पर प्रार्थीगण निरंतर काश्त करते आए हैं, अप्रार्थीगण न तो उक्त आराजी के खातेदार है न उनका कोई हक निहित है और न ही उनका कभी कब्जा-काश्त रहा है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर कब्जा करनें, खातेदार के कब्जे काश्त में दखल देनें की एलानिया धमकी दे रहे हैं। प्रार्थीगण ने इसे शपथ-पत्र पर भी जाहिर किया है। हमनें वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। जमाबंदी संवत 2069-2072, ग्राम-भीलदेवा, खाता संख्या 973 रकबा 23.11 बीघा में प्रार्थीगण साबुराम पुत्र सुरजमल एवं बुद्धाराम पुत्र पुसाराम खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है। अतः उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थीगण को खातेदार की हैसियत से हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार है। वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करते हुए हस्तगत प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है, अप्रार्थीगण ने इसका विरोध करते हुए प्रति-प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है। हमनें प्रार्थना पत्र एवं प्रति प्रार्थना-पत्र पर एक साथ विवेचन करते हुए निर्णित किया जाना उचित माना है।

प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-212, राजस्थान काश्तकारी अधिनिय, 1955 के विधिक प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों या वादों के विचारण के दौरान इस धारा के अधीन अस्थाई व्यादेश(निषेधाज्ञा) का अनुतोष दिया जा सकता है, जब प्रार्थी शपथ-पत्र द्वारा या अन्य साक्ष्य से यह साबित कर दें कि वादग्रस्त आराजी को किसी पक्षकार/पक्षकारों द्वारा दुर्व्ययन आराजी को किसी पक्षकार/पक्षकारों द्वारा दुर्व्ययन करनें, नुकसान पहुंचाने या अंतरित किए जानें का खतरा है या कोई पक्षकार ऐसा करनें का आशय रखता है या धमकी देता है।

अस्थाई व्यादेश(निषेधाज्ञा) के प्रार्थना-पत्र पर निर्णयन से पूर्व इसके तीन महव्वपूर्ण पक्षों का विवेचन किया जाना आवश्यक है जो निम्नानुसार हैः-

1. **प्रथमदृष्ट्या मामलाः-** इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथमदृष्ट्या मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुतः दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करनें का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करनें का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथमदृष्ट्या आराजी के उपयोग अधिकार प्राप्त हो।

वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र एवं वादग्रस्त आराजी के भू. अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि वादीगण/प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी ग्राम-भीलदेवा, खसरा नंबर 973 रकबा 23.11 के रिकॉर्डेड खातेदार है। नामांतरण संख्या 142/20.11.2014

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

द्वारा मेवा, हरदेव पि. भागु, पुसीबाई पत्नी पांचाराम, तीजी बाई पुत्री पांचाराम एवं बाबू पुत्र पांचाराम के स्थान पर केतागण साबुराम पुत्र सुरजमल एवं बुद्धाराम पुत्र पुसाराम को खातेदार के रूप में दर्ज किया गया जो कि हस्तगत प्रकरण में वादीगण/प्रार्थीगण है। जमाबंदी संवत 2018-2021 के अनुसार वादग्रस्त आराजी श्री बहादुरसिंह वल्द नाथूसिंह राजपूत, जागीरदार ठिकाना श्री रास के नाम खातेदारी दर्ज थी। जमाबंदी संवत 2020-2023 के अनुसार वादग्रस्त आराजी में हमीरा वल्द बालूराम और भागू वल्द जोरा बतौर खातेदार दर्ज है, जो आगामी जमाबंदी संवत 2024-2027, 2032-2035, 2036-2039, 2041-2044, 2045-2048, 2049-2052, 2053-2056 में भी बदस्तूर दर्ज है। जमाबंदी संवत 2069-2072 सूरजमल, पूसाराम पि. हमीर और मेवा, पांचू हरदेव पि. भागू बतौर खातेदार दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण कभी खातेदार नहीं रहे हैं तथा प्रतिवादीगण स्वयं यह स्वीकार करते है कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजी नहीं हैं। खसरा गिरदावरी संवत 2069 से स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर खातेदारान द्वारा काश्त की गई है। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण ने एक भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसस यह साबित हो कि वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा काश्त है या भू. अभिलेख में दर्ज प्रविष्टियां गलत हैं या वादग्रस्त आराजी में उनका प्रथमदृष्टतया कोई हित निहीत है। वादग्रस्त आराजी के प्रकरण में केता और और इनके पूर्वज पूर्व से ही सहखातेदार रहे हैं। जमाबंदी में दर्ज खातेदारान रहें हैं। जमाबंदी में दर्ज खातेदारान का उस आराजी पर कब्जा न मानने का कोई कारण नहीं हो सकता जब तक कि इसे संदेह से परे ऐसा साबित न कर दिया जाए, और प्रश्नगत प्रकरण में अप्रार्थीगण ऐसा करने में पूर्णतया असफल रहे हैं। सुखदेव बनाम नाथू, 1993, आर.आर.डी. 443 के प्रकरण में माननीय न्यायालय ने यह मत अभिव्यक्त किया है कि राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियां प्रथमदृष्टतया मामला बनाने के लिए पर्याप्त है, ऐसे मामलों में व्यादेश जारी नहीं करना कठिनाई और अपूर्णीय क्षति उत्पन्न करेगा। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में वादीगण/प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथमदृष्ट्या मामला बनना सिद्ध होता है और अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण अपना पक्ष सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रहे हैं।

सुविधा का संतुलनः- अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है, इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो वादीगण/प्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। ऐसे प्रकरणों में वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान कब्जे की स्थिति सारवान रूप से महत्वपूर्ण होती है। खसरा गिरदावरी संख्या 2069 वादीगण/प्रार्थीगण के नाम से है, वहीं नामांतरण संख्या 144/20.11.2014 द्वारा पर्याप्त जांच उपरान्त प्रार्थीगण का नाम भू. अभिलेख में अंकित है। वर्तमान जमाबंदी में वादीगण/प्रार्थीगण का नाम दर्ज है। इस संबध में "मुस्तफा खां बनाम जगन्नाथ, आर.आर.डी, 1977, एन.यू.सी. 116" के प्रकरण में माननीय न्यायालय नें यह स्पष्ट अभिनिर्धारित किया है कि कृषि भूमि के कब्जे के संबंध में नामांतरण प्रकिया महत्वपूर्ण निर्धारक हो सकती है। इसी प्रकार अप्रार्थीगण/प्रति प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का कब्जा होनें बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। प्रथमदृष्ट्या मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हुआ है अतः वादग्रस्त आराजी का प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार होनें, नामांतरण, खसरा गिरदावरी एवं जमाबंदी रिकॉर्ड तथा प्रथमदृष्टतया मामला भी पक्ष में होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में और अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के खिलाफ साबित होता है।

अपूरणीय क्षतिः- ऐसी क्षति जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती हो। प्रार्थी को यह साबित करना होता है कि यदि उसके पक्ष में व्यादेश जारी नहीं किया गया तो ऐसी क्षति उसे ही होगी। प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र, शपथ-पत्र एवं प्रस्तुत भू. अभिलेखों यथा जमाबंदी, खसरा गिरदावरी से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकॉडेड खातेदार है, संवत 2020 से लेकर वर्तमान तक की जमाबंदियों की प्रविष्टियों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार वादीगण एवं इनके पूर्वज रहे हैं, प्रतिवादीगण कभी खातेदार नहीं रहे हैं। प्रथम-दृष्ट्या मामला और सुविधा का संतुलन वादीगण/प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो चुका है। वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में कब्जा वादीगण/प्रार्थीगण का खातेदार के तौर पर एवं खसरा गिरदावरी और

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

नामांतरण कार्यवाही से होना साबित है तथा प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा इसके विपरीत स्थिति को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, अतः अप्रार्थीगण/प्रति–प्रार्थीगण का कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह संदेह से परे स्थापित होता है कि यदि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई व्यादेश जारी नहीं किया तो वह खातेदार के अधिकारों का सम्यक् उपभोग करनें से वंचित हो जाएगा तथा उसे अपूरणीय क्षति होगी।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण/वादीगण का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रति–प्रार्थना पत्र नासाबित होनें से प्रार्थीगण/वादीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है, और अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रति प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाता है। वादीगण/प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 के विरुद्ध इस इस आशय का अस्थाई व्यादेश(निषेधाज्ञा) पारित किया जाता है कि प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 ताफैसला वाद ग्राम–भीलदेवा, पटवार हल्का–रास प्रथम, तहसील–जैतारण, जिला–पाली के खसरा नंबर 973 रकबा 23–11 बीघा कृषि भूमि में खातेदार एवं प्रार्थीगण को काश्त करनें, फसल एवं भूमि सुधार संबंधी कार्य करनें में स्वयं या अपने नौकर–चाकर, हाली या प्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार की बाधा या दखल कारित न करें, उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण की बिना अनुमति प्रवेश नहीं करें, न ही कब्जा करनें का प्रयास करें। पत्रावली किसी कद्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 04/12/2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला–पाली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2019.12.20 16:03:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: